ऑनलाइन फॉर्म के लिए यहां क्लिक करें

''देश के गौरव की पहचान''
राष्ट्र की भाषा में सम्पूर्ण शिक्षा, सारा ज्ञान विज्ञान

गाँधी जी ने दिसम्बर, 1917 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय समाज सेवा सम्मेलन के अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था, "अगर हम देशी भाषाओं को फिर से अपना लें और हिंदी को इसके उपयुक्त स्थान राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करा दें तो देश की इससे बड़ी सेवा कोई हो ही नहीं सकती" महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति जो सदैव रामराज्य की बात करते हों, कभी तानाशाह होने की बात सोच भी नहीं सकते थे किंतु भाषा के मामले में उन्होंने 2 सितम्बर, 1921 को 'हिंदी नवजीवन' के माध्यम से अपने एक लेख में ये विचार व्यक्त किए थे 'अगर हमारे हाथ में तानाशाही सत्ता हो, तो मैं आज से ही विदेशी माध्यम के जरिए अपने लड़कों और लड़कियों की शिक्षा बंद कर दूँ और सारे शिक्षकों और प्रोफेसरों से यह माध्यम तुरंत बदलवा दूँ या उन्हें बर्खास्त कर दूँ। मैं पाठ्य–पुस्तकों की तैयारी का इंतजार नहीं करूँगा। वे तो माध्यम के परिवर्तन के पीछे–पीछे चली आएँगी। यह एक ऐसी बुराई है जिसका तुरंत इलाज होना चाहिए।

भूमिका

किसी भी राष्ट्र की उच्च शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य सत्त आर्थिक विकास के साथ उच्च वृद्धि दर प्राप्त करना होता है और इसे ज्ञान के सृजन, अंतरण एवं प्रसार के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अभातशिप सन् 1945 से एक राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष परामर्शक निकाय के रूप में अपनी स्थापना के दिन से ही तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सुविधाओं का सर्वेक्षण करने तथा समन्वित और समेकित रूप से देश में तकनीकी शिक्षा के विकास के अपने मिशन में कार्यरत्त है। परिषद् राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य से तकनीकी शिक्षा प्रणाली तथा शोध एवं विकास कार्यकलापों के मध्य सार्थक सहयोग को प्रोत्साहित करने हेतु पुख्ता प्रयासों के लिए सत्त श्रमरत्त है।

परिषद् अपने उक्त कर्तव्य के साथ–साथ भारतीय संविधान के अनुसार राजभाषा की संवृद्धि हेतु भी प्रयासरत है। आज विकास के शीर्ष पर पहुँचे सभी देशों में शिक्षा उन देशों की अपनी भाषाओं में दी जाती है पर भारत वर्ष ही एक ऐसा देश है जहाँ के बच्चें और युवा विदेशी भाषा में शिक्षा ले रहे हैं जिससे अपरिचित भाषा के कारण उनकी प्रतिभा कुंठ हो रही है। व्यावहारिक तौर पर यह अनेका का अनुभूत सत्य है कि ग्रामीण परिवेश से भी विभिन्न क्षेत्रों में अद्वितीय प्रतिभा रखने वाले विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने आते हैं तो भाषा उनके मार्ग की सबसे बड़ी बाधा होती है। इसलिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी / भेषजी / वास्तुकला / नगर आयोजना / अनुप्रयुक्त कला एवं शिल्प / प्रबन्धन / एमबीए / पीजीडीएम / एचएमसीटी / एम.सी.ए. इत्यादि के लिए तैयार करवाई जाने वाली आदर्श पाठ्यचर्या को हिंदी में भी तैयार करवाने का निर्णय लिया है ताकि पूरे देश में शिक्षा हिंदी भाषा में भी प्रदान किए जाने का मार्ग प्रशस्त हो सके। इसके अतिरिक्त राजभाषा हिंदी को कार्यालयों की भाषा बनाने के साथ–साथ विज्ञान प्रबंधन एवं तकनीक को भी हिंदी में लाने की मांग पूरे देश में बार–बार उठ रही है। जब कभी भी इस विषय पर विचार–विमर्श होता है तो यह तथ्य उभर कर सामने आता है कि इस मार्ग की सबसे बड़ी बाधा हिंदी में वैज्ञानिक एवं तकनीकी, प्रबंधन की अच्छी पुस्तकें उपलब्ध न होना है। चूंकि अभातशिप का संबंध तकनीकी एवं इंजीनियरी शिक्षा से है अतः इस क्षेत्र में पुस्तकें उपलब्ध करवाने हेतु अभातशिप द्वारा महत्वाकांक्षी योजना आरंभ की गई जिसकी सफलता को देखते हुए अभातशिप को इस क्षेत्र में कुछ और अधिक श्रेष्ठ एवं धरातल स्तर पर कार्य करने का उत्साह मिला। चहुँ और विहंग्म अवलोकन करने के उपरांत इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती थी :–

चुनौती :– राष्ट्रभाषा हिन्दी में तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा में गुणवत्तायुक्त पुस्तकों की कमी।

जिसके समाधान हेतु अभातशिप ने एक प्रयास किया :

समाधान : ''तकनीकी पुस्तक पाण्डुलिपियों के प्रकाशन हेतु वित्तिय सहायता योजना'' आरंभ करना।

10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में प्रबंधन एवं इंजीनियरी शिक्षा का माध्यम हिंदी बनाने की सिफारिश की गई। जिस पर पहलकदम लेने के लिए अभातशिप ने विचार किया। राजभाषा की उन्नति के संबंध में आयोजित की जाने वाली राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 09 अगस्त, 2016 को आयोजित हुई बैठक में समिति के सभी सदस्यों द्वारा यह अनुभव किया गया की अभातशिप द्वारा हिंदी में प्रकाशित तकनीकी पुस्तकों को पुरस्कृत किया जाता है परन्तु एक ऐसी योजना आरम्भ करने की आवश्यकता है जिसके माध्यम से हिंदी में तकनीकी पुस्तकों को प्रकाशित करने हेतु अधिक से अधिक लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके। समिति द्वारा सर्वसम्मति से इस प्रकार की नई योजना आरम्भ करने का निर्णय लिया गया तथा इसके लिए शीघ्र एक समिति गठित करने पर सहमति व्यक्त की गई। अतः अब अभातशिप द्वारा तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी की पुस्तकों के हिंदी में प्रकाशन को प्रोत्साहित करने हेतु अभातशिप की तरफ से हिंदी में लिखी गई 'वैज्ञानिक एवं तकनीकी पुस्तकों के प्रकाशन हेतु लेखकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से यह नई योजना आरंभ की।

यह योजना लागू होने से धरातल स्तर पर प्रबंधन एवं इंजीनियरी की शिक्षा हिंदी में देने हेतु आधार विासित हो सकेगा तथा क्रांतिकारी रूप से भारत के लेखक उक्त पिुस्तकें लिखने के लिए प्रोत्साहित होंगे और हमें आशा है कि यह योजना 'राष्ट्र की भाषा में सम्पूर्ण शिक्षा, सारा ज्ञान विज्ञान, सम्पूर्ण राष्ट्र की उन्नति एवं अपने देश के गौरव की पहचान'' की राह में मील का पत्थर साबित होगी।

अध्यक्ष

योजना का विवरण / नियम एवं शर्ते

1. योजना का नाम :

''हिंदी में तकनीकी एवं प्रबंधन विषयों पर लिखी गई पाण्डुलिपियों के प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता योजना''

2. कार्यक्षेत्र :

इस योजना के अंतर्गत अभातशिप के अधिकार क्षेत्र में आने वाले तकनीकी शिक्षा से संबंधित वि-नय क्षेत्रों अर्थात् इंजीनियरी व प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर विज्ञान, होटल प्रबन्धन एवं खानपान प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, नगर व ग्राम आयोजना, प्रबंधन, अनुप्रयुक्त कला और शिल्प भे-नजी (फार्मेसी) तथा राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) से संबंधित विषयों में डिग्री (यू.जी./पी.जी.), डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, आई.टी.आई./तकनीशियन स्तर की हिन्दी भा-ा में लिखी गई मौलिक और अनूदित पाठ्यपुस्तकों तथा अन्य आधुनिक ज्ञान विज्ञान एवं समसामयिक तकनीकी एवं वैज्ञानिक विषयों पर लिखी गई पुस्तकों, संदर्भ पुस्तकों, संपादित पुस्तकों, प्रयोगशाला–प्रयोगों पर लिखी गई पुस्तकों मानव समाज एवं राष्ट्रहित की दृष्टि से अन्य उपयोगी पुस्तकों की पाण्डुलिपियों को प्रकाशित करवाने हेतु विचार किया जाएगा।

3. उद्देश्य :

सर्वविदित है कि 'निज भाषा उन्नति अहो सब उन्नति का मूल' यही कारण है कि हमारे देश में भी विश्व हिन्दी सम्मेलनों, संसद एवं राजभाषा की प्रगति से संबंधित अनेक मंत्रालयी एवं विभागीय बैठकों इत्यादि में वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रबन्धन इंजीनियरी इत्यादि की शिक्षा अपनी राजभाषा में दिए जाने का विषय बार–बार उठता है और हमेशा इसकी सबसे बड़ी बाधा इन विषयों की पुस्तकों का हिन्दी में उपलब्ध न होना है। चूंकि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् तकनीकी, प्रबन्धन इंजीनियरी आदि की शिक्षा का विनियमक निकाय है इसलिए अभातशिप द्वारा ''राष्ट्र की भाषा में सम्पूर्ण शिक्षा सारा ज्ञान विज्ञान, सम्पूर्ण राष्ट्र की उन्नति एवं अपने देश के गौरव की पहचान'' अभियान के तहत उक्त पुस्तको की हिन्दी में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह नई योजना आरंभ करने का निर्णय लिया गया।

अतः इस योजना का मुख्य उद्देश्य राजभा-ा (हिन्दी) में इन वि-नयों में उत्कृ-ट पुस्तक एवं पाठ्यपुस्तक, लेखन तथा हिन्दी अनुवाद को बढ़ावा देना और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिकतम ज्ञान-विज्ञान हिन्दी में उपलब्ध कराने के लिए लेखकों और तकनीकी वि-नयों के अनुवादकों को प्रोत्साहन प्रदान करके हिन्दी में पुस्तके उपलब्ध करवाना है। ये पुस्तके महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एवं अन्य तकनीकी संस्थाओं के लिए उपयोगी साबित होगी।

4. किस तरह की पुस्तकों का चयन होगा :

इस योजना के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत विषयों पर आधारित स्नातकोत्तर, स्नातक, डिप्लोमा एवं आई आई टी स्तर पर उपयोगी तथा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिकतम, एवं समसामयिक ज्ञान-विज्ञान पर लिखी गई पुस्तकों, हिन्दी मे सरल एवं सीधी हिन्दी भाषा सहित चित्र, ड्राइंग, मूल अवधारणा, ज्ञान, कौशल, योग्यता एवं अनुभव के सहज प्रस्तुतीकरण सहित लिखी गई मौलिक पुस्तको, संदर्भ पुस्तकों, संपादित पुस्तकों, प्रयोगशाला–प्रयोगों पर लिखी गई पुस्तकों, समस्या समधान श्रृखंलाओं एवं अन्य उपयोगी पुस्तकों की पाण्डुलिपियों को प्रकाशन हेतु चयनित किया जाएगा।

5. योजना के प्रतिभागी कौन हो सकते हैं :

इसके लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), तकनीकी शिक्षा से संबंधित स्वायतः निकायो, सरकारी सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थानों, अभातशिप अनुमोदित संस्थानों उच्च प्रतिष्ठित तकनीकी, भेषजी, प्रबंधन एवं वास्तुकला संस्थानों, प्रतिष्ठित शोध एवं विकास संगठनों विश्वविद्यालयों/डीम्ड विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध महाविद्यालयों, सीएसआईएल से संबंधित संस्थानों अन्य संबंधित संस्थानों इत्यादि में कार्यरत अथवा कार्य कर चुके शिक्षक, वैज्ञानिक, अनुसंधान अधिकारी व शोधार्थी, स्वतंत्र उत्कृष्ट लेखन करने वाले व्यक्ति अपने विशिष्टता प्राप्त व दिलचस्पी वाले विषयों में पुस्तक लेखन के प्रस्ताव अभातशिप को भेज सकते है। वह उन क्षेत्रों/विषयों में भी प्रस्ताव प्रेषित करने को स्वतंत्र हैं जिसमें राष्ट्रीय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार स्तरीय पुस्तक लेखन/प्रकाशन की महती आवश्यकता है। आवश्यकतानुसार अभातशिप उन विषय क्षेत्रों के संस्थानों/शोधार्थियों की भी सेवायें ले सकता है जहॉ अभातशिप की दृष्टि में भारतीय प्रकाशनों की आवश्यकता है जहां ज्ञान के प्रचार व प्रसार के दृष्टिगत ऐसा करना श्रेयकर होगा। विशिष्ट चिन्हित क्षेत्रों में अभातशिप गुणवतापूर्ण पुस्तकों के लेखन के लिये विशेषज्ञों के नाम का सुझाव भी दे सकता हैं।

6. योजना का प्रारूप :

i. यह योजना अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा स्वयं अपने आधार पर चलाई जाएगी। अभातशिप द्वारा पाण्डुलिपियों के लेखन हेतु देश के प्रमुख समाचार पत्रों में एवं बेवसाईट पर विज्ञापन जारी किया जाएगा तथा प्रविष्टियॉ आमंत्रित की जाएंगी।

ii. प्रत्येक वर्ष विज्ञापन को अप्रैल, द्वितीय सप्ताह तक वेबपोर्टल पर अपलोड एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दिया जाएगा।

iii. आवेदकों को प्रत्येक वर्ष 30 जून, तक पुस्तक का संक्षिप्त सार विषय सूची अभातशिप में जमा करना होगा।

iv. अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त सभी प्रविष्टियों को मूल्यांकन समिति के समक्ष रखा जाएगा। इनमें से प्रकाशन योग्य पाई गई प्रविष्टियों के लेखकों को पुस्तक लेखन हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

v. पुस्तक लेखन हेतु लेखकों को अभातशिप द्वारा मानदेय दिया जाएगा।

7. मानदेय देने का नियम :

- (सेनोपिप्स) संक्षिप्त लेख के स्वीकार हो जाने पर – 30 प्रतिशत
- द्वितीय मानदेय 50 प्रतिशत कार्य को जमा करने के पश्चात् – 30 प्रतिशत(सेनोपिप्स)
- पुस्तक के अंतिम प्रारूप के पूर्ण रूप से लेखन के पश्चात् – 40 प्रतिशत
- **मानदेय :** पुस्तक लेखन का मानदेय एक लेखक या समूह के लेखकों का दिया जा सकता है। लेकिन अनुबंध का पालन करने की जिम्मेदारी मुख्य लेखक की होगी।

8. मानदेय श्रेणियां :

- **मूल पाण्डुलिपियों के लिए**

(क) **स्नातकोत्तर (पीजी) मास्टर्स स्तर**

पुस्तक लेखन मानदेय प्रति पुस्तक	–	रू0 2,50,000/–
कुल लेखकों का चयन (विषयवार)	–	50 शिक्षक प्रतिवर्ष
कुल बजट	–	रू0 1.25 करोड़

(ख) **स्नातक स्तर**

पुस्तक लेखन मानदेय प्रति पुस्तक	–	रू0 2,00,000/–
कुल लेखकों का चयन (विषयवार)	–	50 शिक्षक/लेखक प्रतिवर्ष
कुल बजट	–	रू0 1.00 करोड़

(ग) **डिप्लोमा स्तर**

पुस्तक लेखन मानदेय प्रति पुस्तक	–	रू0 1.50,000/–
कुल लेखकों का चयन (विषयवार)	–	50 शिक्षक/लेखक प्रतिवर्ष
कुल बजट	–	रू0 0.75 करोड़

(घ) **आईटीआई/एनएसक्यूएफ स्तर**

पुस्तक लेखन मानदेय प्रति पुस्तक	–	रू0 1,25,000/–
कुल लेखकों का चयन (विषयवार)	–	100 शिक्षक/लेखक प्रतिवर्ष
कुल बजट	–	रू0 1.25 करोड़

- **अनुदित पाण्डुलिपियों हेतु**

(क) **स्नातकोत्तर (पीजी) मास्टर्स स्तर**

पुस्तक लेखन मानदेय प्रति पुस्तक	–	रू0 2,00,000/–
कुल लेखकों का चयन (विषयवार)	–	50 शिक्षक प्रतिवर्ष
कुल बजट	–	रू0 1.00 करोड़

(ख) **स्नातक स्तर**

पुस्तक लेखन मानदेय प्रति पुस्तक	–	रू0 1,50,000/–
कुल लेखकों का चयन (विषयवार)	–	50 शिक्षक/लेखक प्रतिवर्ष
कुल बजट	–	रू0 75,00,000/–

(ग) **डिप्लोमा स्तर**

पुस्तक लेखन मानदेय प्रति पुस्तक	–	रू0 1,00000/–
कुल लेखकों का चयन (विषयवार)	–	50 शिक्षक/लेखक प्रतिवर्ष
कुल बजट	–	रू0 50,00,000/–

(घ) **आईटीआई/एनएसक्यूएफ स्तर**

पुस्तक लेखन मानदेय प्रति पुस्तक	–	रू0 75,000/–
कुल लेखकों का चयन (विषयवार)	–	100 शिक्षक/लेखक प्रतिवर्ष
कुल बजट	–	रू0 75,00,000/–

9. समय सीमा :

प्रत्येक वर्ष विज्ञापन को वेबपोर्टल पर प्रकाशित/अपलोड करना–अप्रैल, द्वितीय सप्ताह

- ❖ संक्षिप्त (सेनोपिप्स) लेख एवं विषय सूची का प्रस्तुतीकरण एवं (सेनोपिप्स) जमा करने की तिथि – 30 जून (प्रत्येक वर्ष)
- ❖ (सेनोपिप्स) का रिव्यू एवं चयन – 31 जुलाई (प्रत्येक वर्ष)
- ❖ लेखक के साथ अनुबंध – 31 अगस्त (प्रत्येक वर्ष)

10. पूर्ण रूप से लिखित पुस्तक को जमा करने की अवधि :

लेखको को अनुबंध करने की तिथि के पश्चात्–6 महीने की अवधि में पुस्तक को पूर्ण करना होगा जिसे पुस्तक की महता कार्य की अपेक्षा का मूल्यांकन करने के अध्यधीन कुछ परिस्थितियों में अगामी 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है तथा इस अवधि में भी पुस्तक पूरी न होने का स्थिति में कुछ विशेष परिस्थितियों में ही अंतिम तिथि निर्धारित करके कुछ सीमित समय दिया जा सकेगा। इसके पश्चात् कोई समय नहीं दिया जाएगा तथा आवेदक को मानदेय के रूप में प्राप्त की गई राशि को ब्याज सहित तय सीमा के अंदर अभातशिप को वापस लौटाना होगा।

11. मूल्यांकन समिति :

पुस्तक लेखन हेतु लेखकों के चयन हेतु परि-ाद् द्वारा पारदर्शी प्रणाली अपनाते हुए उपयुक्त पुस्तकों तथा पात्र लेखकों का चयन करने के लिए एक राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति गठित की जाएगी। अभातशिप की राष्ट्रीय समिति भिन्न–भिन्न विषय क्षेत्रों में कोर समितियों का गठन करेगी। कोर समिति वर्ष में प्रकाशित की जाने योग्य पुस्तकों के सर्वेक्षण का कार्य भी करेंगी। अनेक विषयों से संबंधित विभिन्न कोर समितियां अपनी अनुशंसा राष्ट्रीय समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करेंगी। जिसके आधार पर उच्च शिक्षा में प्रयुक्त/उपयोगी पाठ्यपुस्तको/संदर्भ पुस्तकों के संदर्भ में तथ्य सामने आ सके तथा अभातशिप के अंतर्गत चलाये जा रहें पाठ्यक्रमों को विभिन्न क्षेत्रों व विषयों तथा गुणवता प्रधान शैक्षणिक प्रकाशन के क्षेत्र में सुधार किया जा सके। सभी कोर समितियां अभातशिप राष्ट्रीय समिति के मार्गदर्शन में कार्य करेगीं। जिसमें समिति के अध्यक्ष के अलावा अन्य वि-नय विशे-ाज्ञ सदस्य होंगे। प्राप्त प्रवि-टियों के मूल्यांकन के लिए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त वि-नय विशे-ाज्ञों को इस समिति में सहयोजित किया जा सकेगा।

इस योजना के अन्तर्गत मुल्यांकन समिति में 10 से ज्यादा सदस्य नहीं होगें। इन सदस्यों में यूजीसी, आईसीएआर, अभातशिप, राजभाषा विभाग के सदस्यों के साथ–साथ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), तकनीकी शिक्षा से संबंधित स्वायतः निकायों सरकारी सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थानों, अभातशिप अनुमोदित संस्थानों, उच्च प्रतिष्ठित तकनीकी, भेषजी, प्रबंधन एवं वास्तुकला संस्थानों, प्रतिष्ठित शोध एवं विकास संगठनों, विश्वविद्यालयों/डीम्ड विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध महाविद्यालयों, सीएसआईएल से संबंधित संस्थानों अन्य संबंधित संस्थानों इत्यादि में में कार्यरत अथवा कार्य कर चुके शिक्षक, वैज्ञानिक, अनुसंधान अधिकारी इत्यादि होंगे।

मूल्यांकन समिति के सदस्यों को अभातशिप के नियमानुनसार मानदेय एवं यात्रा भत्ता इत्यादि प्रदान किया जाएगा।

12. योजना में सम्मलित होने के लिए आवश्यक निर्देश :

यह योजना अभातशिप द्वारा अकेले ही चलाई जाएगी। अतः अभातशिप अपने स्तर पर लेखकों को आमंत्रित कर, उनकी पुस्तक का सरांश देखकर एवं मूल्यांकन कर अपने स्तर पर प्रकाशित करेगी तथा भविष्य में **कॉपीराईट का अधिकार अभातशिप का** होगा। किसी भी तरह की रॉयल्टी लेखकों को नही दी जायेगी।

13. शास्ति :

मानदेय प्राप्त करने के पश्चात् निर्धारित समय सीमा में पुस्तक पूरी न करने (जान बूझकर टालने में) के मामले में लेखक पर ब्याज सहित राशि लौटाने के साथ–साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लेखक को स्टॉम्प–पेपर पर सत्यापित करके देना होगा कि वह उसका मौलिक लेखन है एवं किसी प्रकार की नकल पाए जाने पर इसके लिए विधिक कार्रवाई का उत्तरायित्व केवल लेखक का होगा तथा वह इसे अपने स्तर पर और अपने खर्चे पर निपटाएगा। इसमें अभातशिप की किसी प्रकार की भूमिका नहीं होगी।

14. निर्देशन

लेखक को पुस्तक के अंत में संदर्भ पुस्तकों, इत्यादि की सूची देनी होगी। लेखक द्वारा प्रस्तुत किए गए संक्षिप्त नोट, विभिन्न भागों में जमा कि गई लिखित साम्रगी को कम से कम 30 दिन के लिए अभातशिप की वेबसाईट पर डाला जाएगा तथा आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। किसी भी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होने पर जब तक विधिक तौर पर मामले का निपटारा नहीं हो जाएगा आगामी लेखन हेतु मानदेय राशि जारी नहीं की जाएगी। 1 माह तक निपटान न होने की स्थिति में पूर्व में प्रदान की गई राशि परिषद् को वापस लौटानी होगी तथा लेखक द्वारा जमा की गई सामग्री को लेखक को वापस लौटा दिया जाएगा।

- रॉयल्टी इत्यादि– इन पुस्तकों का प्रकाशन राष्ट्रहित में एवं राजभाषा की उन्नति एवं विकास विद्यार्थियों की सुविधा के लिए करवाया जा रहा है इसलिए लेखक को कोई रॉयल्टी नही दी जाएगी। यद्यपि पुस्तक पर स्वामित्व लेखक एवं अभातशिप दोनों का होगा ताकि पुस्तक को समसामयिक अपेक्षाओं के अनुसार अद्धचित करवाया जा सके।
- लेखकों को पुस्तक के लिए अनुबन्ध करते समय पुस्तक को समय पर पूरा करने हेतु पत्र देना होगा तथा लेखक के अस्वस्थ्य/वृद्ध होने/मृत्यु हो जाने/विदेश चले जाने की स्थिति में पुस्तक को किसके द्वारा पूरा किया जाएगा। इसका स्वामित्तव किसको दिया जाए। पुस्तक को कैसे पूरा किया जाएगा। उक्त स्थिति में पुस्तक पूरी न होने पर प्रदान किए गए मादनदेय को वापस लौटाने का उत्तरदायित्व किसका होगा इत्यादि के बारे में विवरण सत्यापित करके जमा करना होगा।

15. पाण्डुलिपि प्रकाशन योजना में भाग लेने की पात्रता :

(i) सभी भारतीय नागरिक इस योजना में भाग ले सकते हैं। इस योजना में मौलिक और अनूदित दोनों प्रकार की पुस्तकों पर अलग-अलग विचार किया जाएगा।

(ii) जिन पुस्तकों को भारत सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन यूजीसी इत्यादि द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा हो उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।

16. सामान्य शर्तें :

(i) लेखक सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली सरल शब्दावली का प्रयोग करें एवं वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा निर्धारित किए गए शब्दों को प्राथमिकता दें।

(ii) आवेदन पत्र के सभी कॉलमों में पूरी एवं सटीक जानकारी दी जाए । विशे-न रुप से डाक पता एवं दूरभा-न संख्या का स्प-ट रूप से उल्लेख अवश्य किया जाए ।

(iii) यदि प्रकाशन के लिए चुनी गई किसी पुस्तक के एक से अधिक लेखक हैं तो मानदेय की राशि उनमें बराबर-बराबर बाँट दी जाएगी।

(iv) प्रकाशन के लिए पुस्तकों की चयन प्रक्रिया के बारे में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।

(v) हर व-र्ा प्रकाशन के लिए पुस्तकों को चुना जाएगा। यदि किसी व-र्ा में चयन समिति की राय में, किसी वर्ग के लिए कोई भी प्रविन्टि उपयुक्त नहीं पाई जाती है तो उस व-र्ा पुस्तकों के प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी।

(vi) परि-ाद् को पुरस्कार के लिए पुस्तकों का मूल्यांकन करने और मूल्यांकन के लिए निर्धारित नियमों/विनियमों में परिवर्तन करने का पूरा अधिकार होगा।

(vii) प्रविन्टि के साथ संलग्न की गईं पाण्डुलिपियों की प्रतियाँ परि-ाद् की संपत्ति मानी जाएंगी तथा अनुवाद के मामले में अनुवादक को पुस्तक के मूल लेखक से इसकी विधिक अनुमति लेनी होगी तथा पुस्तक पूरी होने पर अंतिम किश्त जारी करने से पूर्व लेखक से यह सत्यापित करवाना होगा की अनुवादित पुस्तक के मूल भावना मूल पुस्तक के समकक्ष है। इसके लिए मानदेय की राशि लेखक को नहीं दी जाएगी अपितु अनुवादक को दी जाएगी तत्पश्चात् उन पर लेखक और / अथवा अनुवादक का कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

17. आवेदक /आवेदकों के लिए ध्यान देने योग्य मुख्य बातें :

(i) आवेदन-पत्र पर लेखक/लेखकों और/अथवा अनुवादक/अनुवादकों का फोटो अवश्य लगा हो तथा उस पर उसके/उनके हस्ताक्षर अवश्य हों ।

(ii) निर्धारित अंतिम तारीख के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iii) यदि कोई लेखक / अनुवादक अपनी एक से अधिक पुस्तकें प्रकाशन के लिए प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे प्रत्येक पुस्तक के लिए अलग आवेदन-पत्र देना होगा ।

(iv) संपर्क के लिए वर्तमान पता, स्थायी पता तथा टेलीफोन/मोबाईल नं. तथा ई-मेल (यदि कोई हो) का उल्लेख अवश्य करें । यदि निकट भवि-य में उनके अन्यत्र स्थानांतरित होने की संभावना हो तो भवि-य के संपर्क सूत्र का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए ।

(v) अनूदित पुस्तक के मामले में मूल लेखक की अनुमति/सहमति संलग्न करें ।

(vi) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परि-ाद् के पास पुस्तकों को प्रकाशन हेतु स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूरा अधिकार होगा और इस वि-ाय में परि-ाद् का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा ।

(vii) प्रकाशन हेतु पुस्तकों के मूल्यांकन/निर्धारण के संबंध में परि-ाद् का निर्णय सभी आवेदकों/लेखकों / अनुवादकों के लिए अंतिम व सर्वमान्य होगा ।

(viii) प्रकाशित किए जाने के लिए प्रस्तावित पाण्डुलिपि की 4 प्रतियां लेखकों और/अनुवादकों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परि-द् के कार्यालय में अंतिम तिथि तक विधिवत् भरे हुए निर्धारित प्रारूप के साथ भेजनी होती है।

आवेदकों द्वारा भरा जाने वाला प्रपत्र

आवेदक
(कों) का फोटो

हिंदी में तकनीकी एवं प्रबंधन विषयों पर लिखी गई पांडुलिपियों के प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता योजना

वर्ष .....

1. (क) लेखक और/अथवा अनुवादक का नाम, पद तथा पूरा पता (यदि एक से अधिक लेखक/अनुवादक हैं तो सभी के नाम तथा फोटो अपेक्षित है) : _____

(ख) लेखक/अनुवादक का वर्तमान कार्यक्षेत्र : जिस संस्था में कार्यरत है/कार्यमुक्त है। _____

(ग) शैक्षणिक योग्यता : _____

(घ) संपर्क के लिए टेलीफोन नंबर : _____

(ङ) ई-मेल (यदि कोई है) : _____

यदि लेखक / अनुवादक एक से अधिक हैं : _____
तो अन्य लेखकों/अनुवादकों का विवरण _____

2. मूल और / अथवा अनूदित पुस्तक का वि-नय तथा शी-र्क : _____

3. किस स्तर के विद्यार्थियों के पढ़ने के उद्देश्य से : _____
पुस्तक लिखी/अनूदित की गई है _____

घोषणा–पत्र

4. (क) मैंने/हमनें प्रकाशन योजना के नियमों को पढ़ लिया है और मैं/हम उससे पूरी तरह सहमत हूँ/हैं। मैं/हम यह भी घो-णणा करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि यह पुस्तक मूलतः मैंने/हमने लिखी /हिन्दी में अनूदित की है ।

(ख) मैं/हम यह भी घो-णणा करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि आवेदन-पत्र में दिया गया विवरण मेरी/हमारी जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार बिल्कुल सही एवं सत्य है।

(ग) यह पुस्तक मूल लेखक की सहमति एवं अनुमति से अनूदित की गई है और इसमें कोई कानूनी बाधा पेश नहीं आएगी अन्यथा इसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी मेरी/हमारी होगी । (केवल अनुदित पुस्तक के मामले में)

(घ) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुस्तक के लेखन हेतु मुझे/हमें भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी संघ शासित क्षेत्र प्रशासन यूजीसी/अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रोत्साहन राशि/मानदेय नहीं दिया जा रहा है।

यदि पुस्तक के लेखक और/अथवा अनुवादक एक से अधिक हैं तो सभी को घो-णणा-पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे

हस्ताक्षर : _____
पूरा नाम : _____
पूरा पता : _____

तिथि : _____
स्थान : _____